2011/00007

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कैम्प कोर्ट सिवाना

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 01/2011

प्रार्थी
ललित कुमार पुत्र लक्ष्मीचंद जाति ओसवाल निवासी कुण्डल की वास,सिवाना तहसील,सिवाना

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.ग्राम पंचायत सिवाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना
2.मालमसिंह पुत्र आम्बसिंह
3.गणपतसिंह पुत्र आम्बसिंह
जाति राजपूत निवासी मिठोड़ा तहसील,सिवाना

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 41 दिनांक 20.07.2009 जो ग्राम पंचायत,सिवाना द्वारा जारी किया गया।

उपस्थितः– 1.प्रार्थी ललित कुमार उपस्थित।
2.अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।
3.अप्रार्थी सं. 03 उपस्थित, 02 अनुपस्थित,अधिवक्ता पवन सिंहल उपस्थित।

निर्णय दिनांक 14.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 मालमसिंह व गणपतसिंह ने एक आवेदन पत्र सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष पेश कर जाहिर किया कि ग्राम सिवाना की आबादी भूमि में आवासीय भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करना चाहता हूँ इसलिये नियमानुसार पट्टा जारी करने की कृपा करावें। इस पर ग्राम पंचायत सिवाना ने पत्रावली संख्या 95 कायम कर अप्रार्थी मालमसिंह व गणपतसिंह के नाम नियम 157(2) के तहत संकल्प संख्या 05 दिनांक 20.07.2009 के अनुसरण में पट्टा संख्या 41 दिनांक 20.07.2009 को जारी कर दिया। प्रार्थी का यह कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के नाम जारी पट्टा की भूमि उसके पैतृक, स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि है। इस पट्टा विलेख को अपने परिवार की पैतृक, स्वामित्व एंव आधिपत्य एंव नियम विरूद्ध जारी होना बताते हुए प्रार्थी ने यह धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत सिवाना से पट्टा से सम्बन्धित रिकार्ड तलब किया।

3. अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री पुरूषोतम सोलंकी ने दिनांक 24.07.2012 को जवाब पेश कर निगरानी के पद संख्या 03 से 8 गलत होने से अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का निगरानी आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिवाना में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी उपस्थित रहा। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ग्राम सेवक सिवाना उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 03 उपस्थित रहे, 02 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित रहें।

5. हमने उभय पक्ष को सुना। उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई। ग्राम पंचायत सिवाना से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी को जारी पट्टा की भूमि उसके स्वामित्व, आधिपत्य एंव उसके पूर्वजों के समय आबादी की पैतृक भूमि है। वादग्रस्त भूमि उसके दादा शिवलाल की पैतृक भूमि थी जिन्होने अपने पुत्र एंव प्रार्थी के पिता स्व. लक्ष्मीचन्द के पक्ष में दिनांक 20.08.87 को वसीयत कर दी। प्रार्थी उनका पुत्र है तथा वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के परिवार की भूमि है। जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। निगरानी से सम्बन्धित यह विवाद दीवानी प्रकृति का है ऐसी स्थिति में इस बिन्दु के निर्धारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के हक मे जारी पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। इस आवेदन पत्र के साथ नक्शा भी पेश किया गया। सरपंच ने इस आवेदन को पंचायत की बैठक में रखने के आदेश दिये हैं। जिस पर मिसल कायम की गई है। मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। इस पर मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की हैं। मौका कमेटी ने नियम 146 के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ मे वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत निर्धारित प्रारूप में एक माह का नोटिस जारी कर चस्पा कराया हैं नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है। तत्पचात् प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.07.2009 को नियम 157(1)(ख)के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है। इन नियमो के परिपेक्ष्य में अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप एंव रहवास के अनुरूप ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को दिनांक 20.07.2009 को पट्टा संख्या 41 पट्टा जारी किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ग्राम पंचायत सिवाना ने निर्धारित प्रकिया

जिला कलक्टर

अपनाकर,नियमों में अंकित प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के हक में नियम 157(1)(2) के तहत आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 41 दिनांक 20.07.2009 जारी किया है। जिसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी बलहीन एंव सारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प सिवाना में आज दिनांक 14.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर